NABARD

ईसी सं. 81/ सीपीडी.- 03/2024 29 अप्रैल 2024

संदर्भ सं. राबैं. सीपीडी./3850/जीएलसी-54-ब-10/2024-25

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[सभी वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, राज्य सहकारी बैंक और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक]

महोदया/ महोदय

कृषि ऋण के अनुप्रवर्तन के लिए संशोधित व्यवस्था – एन्श्योर 2.0

जैसा कि आप जानते हैं, नाबार्ड भारत सरकार की ओर से ऋण की प्रभावी आयोजना और अनुप्रवर्तन हेतु कृषि ऋण से संबंधित डेटा एकत्रित करता है. बैंक, नाबार्ड के इलेक्ट्रोनिक सबमिशन ऑफ रिटर्न्स (एन्श्योर) पोर्टल पर उक्त सूचना अपलोड करते हैं. वित्त मंत्रालय (एमओएफ़) की सूक्ष्म डेटा की आवश्यकताओं, किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफ़डबल्यू) द्वारा एग्री स्टैक के विकास और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डेटा समर्थित वार्षिक ऋण योजना (ए.सी.पी) और संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पी.एल.पी) पर दिए जाने वाले निरंतर ज़ोर को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड को एन्श्योर प्लैटफ़ार्म पर ज़मीनी स्तर ऋण (जी.एल.सी) विवरणी की समीक्षा करने की आवश्यकता है. हाल ही में 02 फरवरी 2024 को हुई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र प्रमुखों की बैठक के दौरान उक्त विषयक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन भी साझा किया गया था.

2. इस संबंध में हम सूचित कराते हैं कि डेटा प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया नया प्लैटफ़ार्म उपयोग हेतु तैयार है. वर्तमान में निम्नलिखित छह विवरणियाँ एन्श्योर 2.0 पर प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं :

क) जिला/ खंड वार प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण डेटा– संवितरण

ख) जिला/ खंड वार प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण डेटा – बकाया

ग) केसीसी से संबंधित जिला/ खंड वार डेटा

घ) स्वयं सहायता समूह से संबंधित जिला/ खंड वार डेटा

ङ) संयुक्त देयता समूह से संबंधित जिला/ खंड वार डेटा

च) शाखाओं की संख्या और एटीएम से संबंधित जिला/ खंड वार डेटा

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

कॉर्पोरेट आयोजना विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0106 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0096 • ई मेल: cpd@nabard.org

Corporate Planning Department

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0106 • Fax: +91 22 2653 0096 • E-mail: cpd@nabard.org

3. प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण डेटा के संवितरण और बकाया से संबंधित फॉर्मेट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र ऋणीकरण पर आधारित है. शेष चार विवरणियों के लिए फॉर्मेट डेटा फ्लो (मानकीकृत व्यवस्था) की संशोधित व्यवस्था से लिए गए हैं. इन फॉर्मेटों के आधार पर बैंक संबंधित एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी को डेटा प्रस्तुत करते हैं.

4. एन्श्योर 2.0 के लिए यूआरएल **https://ensure.nabard.org** है. मेकर, चेकर और एडमिन के लिए यूजर आईडी वही रहेगा और सभी आईडी के लिए डिफ़ाल्ट पासवर्ड **Kisan@1234** है, तथापि पहली बार लॉग इन करने के बाद पासवर्ड बदलना होगा. इसके अलावा बैंक यूआरएल **https://dcmsapi.nabard.org:4433/swagger/index.html** को श्वेतसूची में डालना सुनिश्चित करें.

5. लाइसेन्सी एडमिन, मेकर और चेकर उपयोगकर्ताओं के लिए सरल फ्लो चार्ट आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न किया गया है.

6. आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक से संबंधित वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए डेटा अपलोड करें. किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए **+91-9461628066, +91- 9962879262** पर हमारी तकनीकी टीम के साथ संपर्क किया जा सकता है. इस नई व्यवस्था पर कार्य करने के लिए शुरुआती चरण में आपको आवश्यक किसी भी प्रकार की सहायता करने के लिए हम तत्पर हैं.

भवदीय

eSign
Signed by: REGULUGEDDA VENKATA RAMAKRISHNA
Organization Unit: CHIEF GENERAL MANAGER
Organization Name: THE NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Date: 30-Apr-2024 (03:14 PM)

(आर वी रामकृष्ण)
मुख्य महाप्रबंधक